

संख्या एन-41015/5/2026-बीसी III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वर्कहॉल नं. 23076, तीसरा तल,

कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली

दिनांक: 20 अगस्त, 2026

एडवाइजरी

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल

विषय: प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनलों पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों से संबंधित अस्वीकरण (डिस्कलेमर) प्रदर्शित करने के संबंध में।

मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और अन्य नशीले पदार्थों का दुरुपयोग जन स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर युवाओं में, एक गंभीर खतरा पैदा करता है और इसके प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारगत परिणाम होते हैं। चूँकि टेलीविज़न संचार का सबसे व्यापक रूप से सुगम माध्यम है, प्रसारक मादक पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और दर्शकों के बीच ज़िम्मेदार सामाजिक संदेश को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

2. केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बनाए गए केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो प्रसारकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं कि टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रम, लागू सांविधिक और विनियामक ढांचे का पालन करें और उन्हें सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाए।

3. मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और जानकारी एवं उत्तरदायी दर्शकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित अस्वीकरण(डिस्कलेमर) को स्पष्ट, पठनीय और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें:

***अवैध मादक पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और कारावास की सजा सुनिश्चित करते हैं।
मादक पदार्थों को ना कहें।***

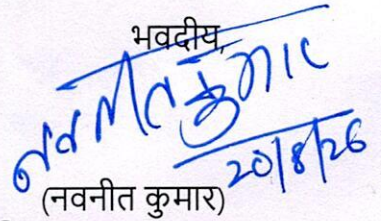
4. उपरोक्त पैरा 3 में संदर्भित अस्वीकरण को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति दर्शकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता उपाय के रूप में, सामान्य मनोरंजन

और गैर-समाचार कार्यक्रमों सहित सभी कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान उपयुक्त अंतराल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

5. अस्वीकरण को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा कि दर्शक इसे आसानी से पढ़ सकें और प्रभावी दृश्यता और संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए इसे पर्याप्त समय तक दिखाया जाए।

6. यह इस एडवाइजरी के जारी होने की तिथि से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर लागू होगा और इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य में योगदान देना है।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(नवनीत कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 24015764

ईमेल: us-bc23@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ: -

1. अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईडीबीएफ), नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ), नई दिल्ली
3. समाचार प्रसारकों के अन्य संघ